अंचल अधिकारी का कार्यालय, बाघमारा

आदेश फलक

मापी अभिलेख संख्या 17/13-14

आवेदक — धौरु लाल साव

पिता/पति — स्व० सहदेव साव

साकिन — डुमरा

जिला — धनबाद

तिथि	आदेश	अभ्युक्ति
11.6.13	आवेदक धौरु लाल साव पिता-स्व० सहदेव साव साकिन डुमरा जिला धनबाद के द्वारा मौजा डुमरा मौजा नं० 99 खाता नं० 37 प्लॉट नं० 328, 343, 348, 349, कुल रकबा 23डी० एवं 37 प्लॉट नं० 328 रकबा 3डी० खाता 37 प्लॉट नं० 328 रकबा 8डी० एवं खाता 45 प्लॉट नं० 329, 330 रकबा 6½ डी० एवं खाता 44 प्लॉट नं० 331, 332 रकबा 1.11 एकड़ खाता नं० 45 प्लॉट नं० 329, 330 रकबा 2¼ डी० एवं खाता नं० 44 प्लॉट नं० 309, 313, 335, 336, 340, 342, 345, 355, 359 कुल रकबा 1.56 एकड़ भूमि मापी करने हेतु आवेदन दिया गया है। उक्त आवेदन पत्र पर हल्का कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा डुमरा मौजा नं० 99 खाता नं० 37 प्लॉट नं० 328 कुल रकबा 11डी० रैयती खाते की भूमि है जिसका जमाबंदी सं० 1559 एवं 1560 में निर्गत होता है। मौजा डुमरा मौजा नं० 99 खाता नं० 45 प्लॉट नं० 329 एवं 330 कुल रकबा 8¾ डी० रैयती खाते की भूमि है जिसका जमाबंदी सं० 1543 एवं 1624 में लगान रसीद निर्गत होता है। मौजा डुमरा मौजा नं० 99 खाता नं० 44 प्लॉट नं० 331, 332 कुल रकबा 1.11 एकड़ एवं प्लॉट नं० 309, 313, 335, 336, 340, 342, 345, 355, एवं 359 कुल रकबा 1.56 एकड़ रैयती खाते की भूमि है। जिसका लगान रसीद जमाबंदी सं० 1531 एवं 1736 में निर्गत होता है। कुल प्लॉट का कुल रकबा 2.86¾ ए० हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक ने उक्त भूमि का मापी करने हेतु अनुशंसा किया गया है। अतः हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक से एक दिन का मापी शुल्क जमा करने के पश्चात अंचल अमीन को प्रतिनियुक्त करें। अंचल अधिकारी बाघमारा।	

अभिलेख उपस्थापित किया गया। आवेदक केशो नापित (ठाकुर) सा०-बाघमारा लुतीपहाड़ी द्वारा आवेदन दिया है कि मौजा-डुमरा मौजा नं० 99 खाता 44, 45, 37 में मेरे पूर्वजों के नाम जादू नापित, मधु नापित एवं साधु नापित दर्ज है मेरे इस जमीन को कुछ दबंग व्यक्ति गलत तरीके से खरीद बिक्री कर इसकी नापी कराने का आपके यहाँ आवेदन कर रहे हैं इससे शान्तिभंग होने की आशंका है। चूंकि आपस में विवाद हो चुका है। इस लिए इस संबंध में जांच कर अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया गया है। पुनः प्रश्नगत भूमि के संबंध में सुस्पष्ट प्रतिवेदन संबंधित हल्का कर्मचारी से अंचल निरीक्षक के माध्यम से मांग करें। अभिलेख उक्त तिथि को रखें।

अंचल अधिकारी
बाघमारा।

12.7.13 अभिलेख उपस्थापित किया गया। हल्का कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ है। जो अभिलेख के साथ संलग्न है। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-डुमरा मौजा नं० 99 खाता नं० 37, 44, 45, रैयती खाते की भूमि है। जिसकी जमाबंदी सं० 1559, 1560, 1531, 1736, कुल रकबा 2.86 डी० ए० भूमि का लगान रसीद निर्गत होता है। स्थल जाँच के क्रम में पाया गया कि स्थल पर जमीन परती है। उक्त भूमि पर केशो ठाकुर एवं अन्य के द्वारा अपना जमीन होने का दावा करता है। हल्का कर्मचारी ने उभय पक्षों को से संबंधी भूमि का कागजात प्रस्तुत करने हेतु नोटिश निर्गत करने के लिए अनुशंसा किया गया है

अतः उभय पक्षों को प्रश्नगत भूमि से संबंधित सभी कागजातों के साथ दिनांक . . . . . . को अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने हेतु नोटिश निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 21.8.13 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी
बाघमारा

20.2.14

अभिलेख उपस्थापित किया गया। इस कार्यालय के ज्ञापांक 1666 दिनांक 19.8.13 द्वारा मौजा- डूमरा मौजा नं० 11 खाता नं० 37, 44, एवं 45 प्लॉट नं० 328, 329, 330 एवं अन्य रकवा 2.86 3/4 ए० भूमि से संबंधित सभी मूल कागजात के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस किया गया था परन्तु उनके द्वारा उक्त जमीन से संबंधित दिनांक 29.8.13 को उनके द्वारा रसीद की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है।

पुनः इस कार्यालय ज्ञापांक 2415 दिनांक [illegible] द्वारा उक्त भूमि से संबंधित सभी मूल कागजात के साथ दिनांक 22.11.13 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में मूल कागजात के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया परन्तु उनके द्वारा उक्त भूमि से संबंधित उनके द्वारा उक्त भूमि से संबंधित किसी तरह का कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रथम पक्ष घोरे लाल साव पिता स्व० सहदेव साव सा०- डूमरा द्वारा उक्त भूमि से संबंधित दलील सं० 6093 दिनांक 25.6.07, 15768 दिनांक 19.12.08 8882 दिनांक 28.6.11, 2349 दिनांक 24.8.06, 5524 दिनांक 8.6.07 एवं 2037 दिनांक 13.3.06 द्वारा खरिद की गई है। जिसका लगान जमाबंदी 1531, 1624 1736, 1559, 1543, 1560 में लगान वसूल होता है। एवं वर्ष 2007-08 तक लगान रसीद निर्गत होकर जमाबंदी में दर्ज है। द्वितीय पक्ष द्वारा गत सर्वे खतियान की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया जिसमे केशो ठाकुर पिता स्व० छद्दी ठाकुर द्वारा खाता नं० 37, 44, एवं 45, का एक भी लगान रसीद प्रस्तुत नही किया गया एवं पंजी II के जमाबंदी में भी दर्ज नही है।

अतः आवेदक से एक दिन का मापी शुल्क जमा करने के पश्चात अंचल अमीन को प्रतिनियुक्त करें। साथ ही प्रतिलिपि विपक्ष एवं थाना प्रभारी को सूचना निर्गत करें।

अंचल अधिकारी
बाघमारा